न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2021	29.01.2021	17.11..2022

//उनवान//

1 सुनिता पत्नि श्री मामचन्द जाति गुसाई निवासी गुसाईयों की ढाणी तन जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रार्थीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें भूमिधारी तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– श्री बसतीराम यादव – वकील प्रार्थिया

निर्णय दिनांक– **17.11.2022**

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। पार्थीया के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल ख0नं0 1074/0.29, 1072/0.32,1073/0.22, 1075/0.30 है0 का 1/12 भाग वाके ग्राम जागीवाडा तह0 मुण्डावर में स्थित होकर मिन प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की खातेदारी रही है तथा अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही हूं। विवादित आराजीयात में मिन प्रार्थीया का नाम मूर्ति देवी पत्नि मामचन्द अंकित है जबकि पहचान के समस्त दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम सुनीता देवी पत्नि मामचन्द जिससे प्रार्थीया को काफी परेशानी हो रही है का अंकन करते हुये उक्त विवादित आराजीयात में नाम मूर्ति देवी पत्नि मामचन्द को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुनीता देवी पत्नि मामचन्द दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड शुद्ध किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश हुआ। मुताबिक पैरोकार सरकार द्वारा जवाब वादिया स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल जम[illegible] 2070 एवं आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की [illegible] पंचा[illegible] बल्लूवास का प्रमाणपत्र दिनांक 22.08.2022 पेश किया [illegible] मामचन्द होना अंकित किया हैं एवं मौखिक साक्ष्य [illegible] मामचन्द का पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र. के बाबत बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थीया का विवादित आराजीयात के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम मूर्ति देवी पत्नि मामचन्द अंकित है जबकि पहचान के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रतियों में एवं ग्राम पंचायत बल्लूवास के प्रमाणपत्र दिनांक 22.08.2022 में सही नाम सुनीता देवी पत्नि मामचन्द है अवगत कराते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर नाम दुरूस्त कराये जाने का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थीया के हाल ख0नं0 1074/0.29, 1072/0.32,1073/0.22, 1075/0.30 है0 का 1/12 भाग वाके ग्राम जागीवाडा तह0 मुण्डावर बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे प्रार्थीया के नाम मूर्ति देवी पत्नि मामचन्द के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा मूर्ति देवी के स्थान पर सुनीता देवी पत्नि मामचन्द के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय की प्रति के साथ अकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

17.11.2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:08 IST
Reason: SelfAttested